

Form - B

{See rule 9(3),(4) & (6)}

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक: राजस्व/2015/

दिनांक:



संपरिवर्तन आदेश


श्री रमेश कुमार दानोदिया पुत्र झुंधाराम जाति बलाई निवासी रिडमल तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है।

1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	रमेश कुमार दानोदिया पुत्र झुंधाराम जाति बलाई निवासी रिडमल तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	हाँ (अनु0 जाति)
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा	
1.	ग्राम/ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	राजस्व ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना
2.	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	31/5, रकबा 0.14 है0 अर्थात 1400 वर्ग मीटर किस्म बंजड
3.	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में)	31/5 रकबा 0.14 है0 अर्थात 1400 वर्ग मीटर
	टिप्पणी: अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दशांते हुये राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रगति संलग्न है।	संलग्न है
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमियम की दर	संस्थानिक प्रयोजनार्थ डीएलसी दर के 10 प्रति0 के हिसाब से 10790/-रु.
6	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गयी प्रीमियम की राशि	249 दिनांक 01.10.2015
7	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित शस्ति यदि कोई हो, कि जमा कराई गई राशि	नहीं
8	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा कराई गई राशि	शून्य
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है ?	शून्य
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो।	इण्डियन रोड कॉंग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुये।



11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा—


1. राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त संस्थानिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत भूमि सम्पूर्ण संपरिवर्तन रकबे में से सुविधाओं वास्ते सुरक्षित रखी जावेगी।
2. इण्डियन रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से निर्धारित भूमि निशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जायेगी।
3. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयुक्त विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समपद्धत हो जायेगा।
5. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये किया जायेगा।
6. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि में किसी भाग का अन्य किसी अकृषिकप्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।


उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना(सीकर)
दिनांक: 1.10.15

क्रमांक: राजस्व/2015/ 804 - 08

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर ।
2. तहसीलदार नीमकाथाना ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत पीथमपुरी
4. आवेदक श्री रमेश कुमार दानोदिया पुत्र झुंथाराम जाति बलाई निवासी रिड़मल तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान
5. रक्षित पत्रावली


उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना(सीकर)

Form - B

{See rule 9(3),(4) & (6)}

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक: राजस्व/2015/

दिनांक:

संपरिवर्तन आदेश

श्री नानूराम पुत्र भूणाराम मेघवाल जाति बलाई निवासी हुसैनपुरा तह0 लाडनूं जिला नागौर राजस्थान के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है।

1	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पित्त/पति का नाम सहित पूरा पता	नानूराम पुत्र भूणाराम मेघवाल जाति बलाई निवासी हुसैनपुरा तह0 लाडनूं जिला नागौर राजस्थान
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन, जाति का सदस्य है ?	हाँ (अनु0 जाति)
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा	
	1. ग्राम/ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	राजस्व ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना
	2. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	31/6, रकबा 0.11 है0 अर्थात 1100 वर्ग मीटर किस्म बंजड
	3. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में)	31/6 रकबा 0.11 है0 अर्थात 1100 वर्ग मीटर
	टिप्पणी: अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रगति संलग्न है।	संलग्न है
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5	संदेश प्रीमियम की दर	संस्थानिक प्रयोजनार्थ डीएलसी दर के 10 प्रति0 के हिसाब से 8475/-रु.
6	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गयी प्रीमियम की राशि	250 दिनांक 01.10.2015
7	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित शक्ति यदि कोई हो, कि जमा कराई गई राशि	नहीं
8	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा कराई गई राशि	शून्य
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है ?	शून्य
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो।	इण्डियन रोड कॉंग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुये।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा—

1. राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त संस्थानिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत भूमि सम्पूर्ण संपरिवर्तन रकबे में से सुविधाओं वास्ते सुरक्षित रखी जावेगी।
2. इण्डियन रोड कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से निर्धारित भूमि निशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ी जायेगी।
3. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयुक्त विहित अधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समपहृत हो जायेगा।
5. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये किया जायेगा।
6. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि में किसी भाग का अन्य किसी अकृषिकप्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

उप-सखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

क्रमांक: राजस्व/2015/ 0810-14

दिनांक: 1-11-15

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर ।
2. तहसीलदार नीमकाथाना ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत पीथमपुरी
4. आवेदक श्री नानूराम पुत्र भूणाराम मेघवाल जाति बलाई निवासी हुसैनपुरा तह0 लाडनू जिला नागौर राजस्थान
5. रक्षित पत्रावली

उप-सखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)